

16865



उत्तर प्रदेश

LSH



आवंटी



उप आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कृन्दवन योजना, लखनऊ
किराया-किश्त कय किरायेदारी अनुबन्ध



यह अनुबन्ध आज दिनांक 7 माह 6 दो हजार 14 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे भूतदपश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशी भी है।

माध्यम से होता है। एक पक्ष और श्री कैलाश यादव पुत्र श्री तिलक यादव पता- 14A, दाकलशाफा निवास लखनऊ जिसे एतदपश्चात किराया-किश्त केता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतदपश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशी और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशी भी है दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

कमरा: 2 पर

आवंटी

उप आवास आयुक्त
कृन्दवन योजना, लखनऊ



THE POSTAL PRINCIPLES

4242 58115

CERTIFICATE

In pursuance of the order of the collector No. 01.....

dated 07.07.1979, passed under Section 50-A of the stamp act it is certified that an amount of Rs. 77,27,800/- (Rupees Seventy Seven Lacs Seventeen Thousand Only) has been paid by Kallabh Yadav son of Tikra Yadav resident of A-14, Vidhayan Niwas, Daraula, Lucknow in cash as stamp duty in respect of the instrument in the State Bank of India Lucknow by Chalan No. 0-000094 dated 23.07.1984, a copy of which is enclosed herewith.

Dated 07.07.1979


कलेक्टर


Chief Treasury Officer
Lucknow
मुख्य वित्त अधिकारी
लखनऊ

1. Name

2. Address

3. City

4. State

5. Zip

6. Phone

7. Fax

8. E-mail

9. Other

10. Signature



11. Date

12. Signature

13. Signature

14. Signature

15. Signature

16. Signature

17. Signature

18. Signature

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त क्रेता ने स्वामी से किराया किश्त कय योजना के अधीन एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक् रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात् निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त क्रेता को भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि किराया-किश्त क्रेता ने रु० 3,78,80,507.00 (शब्दों में केवल रु० तीन करोड़ अट्ठत्तर लाख अस्सी हजार पाँच सौ सात मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा ब्याना धनराशि एवं उस पर अजित ब्याज सम्मिलित है।

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-12A का कुल मूल्य रु० 11,02,36,000.00 (रु० ग्यारह करोड़ दो लाख छत्तीस हजार मात्र) जिसका आधा रु० 5,51,18,000.00 (रु० पाँच करोड़ इक्यावन लाख अट्ठारह हजार मात्र) होता है। आवंटी द्वारा यदिकिश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता से प्रसंगिक करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंगिक करता है और सहमत है अर्थात्।

1- किराया-किश्त क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी संख्या 14/GH-12A है और जो वृन्दावन योजना संख्या-2 लखनऊ में सेक्टर संख्या- 14 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2- किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 25 (त्रैमासिक) की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार तेरह के जून- 13 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के दिसम्बर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-

(क) किराया-किश्त-क्रेता रु० 48,09,707.00 केवल (रु० अड़तालिस लाख नौ हजार सात सौ सात मात्र) की मासिक किश्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किश्त क्रेताद्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह जून- 13 की प्रथम किश्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2013 के माह के सितम्बर- 13 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेंडर मास के तुरन्त बाद किराया-किश्त कय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

कमश: 3 पर

आवंटी

उप आक्स आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

(3)

ख. किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहणकी धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरणद्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये परदी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-क्रेता-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा। परन्तु किराया-किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

ग. किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्सारण, विजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

घ. किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति के भीतर किसी भी प्रकार का, व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या उसका आवासिक उपयोग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के अध्यासियों की या पडोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

ड. किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेषमरम्मत आवश्यक हैं तो स्वामी किराया-किश्त क्रेता के खर्च पर कर वा सकता है और किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

च. किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप - लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

कमश: 4 पर

आवंटी

उप ऑफिस आयुक्त
दन्दावन योजना, लखनऊ

(4)

छ. किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा ।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।
ज. किराया- किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा ।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा ।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो ।

झ. किराया-किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा ।

ञ. किराया-किश्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों, से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियां उठें या दावे प्रस्तुत किये जायें ।

ट. किराया किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेंगे और जिसके बारे में इस अनुबन्ध-पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है ।

ड. उक्त सम्पत्ति में किराया-किश्त क्रेता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है ।

ड. किराया-किश्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है ।

कमशः 5 पर

आवंटी

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, सरबनगढ़

(5)

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में, किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अतिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

द. किराया-किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त क्रेता

की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त क्रेता उक्त शीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है

परन्तु किराया-किश्त क्रेता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया-किश्त क्रेता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

ग. किराया-किश्त क्रेता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य शीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया-किश्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

कमश: 6 पर

आवंटी

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

(6)

त.यदि किराया-किश्त केता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त केता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

य.यदि किराया-किश्त केता किराया-किश्त कय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त केता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

द.इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया किश्त-केता द्वारा भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्ही सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त केता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किश्त केता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

ध.स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किश्त केता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किश्त कय के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

न.उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त केता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुर्नग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किश्त केता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

क्रमशः 7 पर

आवंटी

उप आवासी आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

(7)

3.स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता को किराया-किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4-यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगा और किराया-किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड-03 के सभी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 14/GH/12A एवं भूमि का क्षेत्रफल 7112.00 वर्गमी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:-

उत्तर- POND/PARK	उत्तर- 88.90	मीटर
दक्षिण- 45.00 मी० चौड़ी सड़क	दक्षिण- 88.90	मीटर
पूर्व- भूखण्ड सं० 14/GH-12	पूर्व- 80.00	मीटर
पश्चिम- LSC	पश्चिम- 80.00	मीटर

इस किराया किश्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री लक्ष्मण प्रसाद, उप आवास आयुक्त ने तथा आवटी श्री कैलाश यादव आशयिता ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 10A/GH-01 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।

कमशः 8 पर

आवंटी

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

(8)

अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-

स्थान लखनऊ
दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर :

2-नाम :

3-पता :

Manoj R Singh

A/14 Vidhaya Nikas Harzalganj

किराया किरत केता का
सुपादय हस्ताक्षर और पता)

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर :

2-नाम :

3-पता :

Chandrayeel

Chandrayeel yada

A/14 Vidhaya Nikas Harzalganj

Harzalganj

1- हस्ताक्षर:-

2-नाम कैलाश यादव

पुत्र श्री तिलकू यादव

3-पता:- 14, दारुलशफा विधायक

निवास लखनऊ।

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर :

2-नाम :

3-पता :

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

उप आवास आयुक्त

उप आवास आयुक्त

वृन्दावन योजना, लखनऊ

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर :

2-नाम :

3-पता :

कमरा: 9 पर

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके पलैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किश्त क्रेता अपने पलैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।
- (5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किश्त क्रेता के पलैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्तों में नहीं रखा जायेगा।
- (6) भूखण्ड के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।
- (7) किराया-किश्त क्रेता के पलैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।
- (8) पलैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।
- (9) भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
- (10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
- (11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।
- (12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियों, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।
- (13) परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निबंध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- (14) उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त क्रेता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

कमश: 10 पर



आवंंटी

६. १ /
उप आवास आयुक्त
पृन्दावन योजना, लखनऊ

110,236,000.00 37,880,507.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत
श्री कैलाश यादव
पुत्र श्री तिलक यादव
व्यापार

अग्रिम धनराशि

फॉस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

निवासी स्थान 14 ए दारुलशफा निवास लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 8/8/2014 समय 11:25AM
रजिस्ट्रीकरण के लिए पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ
8/8/2014

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
श्री उ० प्र० आ० वि० प० द्वारा लक्ष्मण प्रसाद उ० प्र० आ०
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री कैलाश यादव
पुत्र श्री तिलक यादव
पेशा व्यापार
निवासी 14 ए दारुलशफा निवास लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

दिनांक पहचान श्री गुलाम मोहम्मद योजना सहा० आ० वि० प०

पेशा नौकरी

निवासी

व श्री मनोज सिंह
पुत्र श्री रामनारायण सिंह

पेशा व्यापार

निवासी ए- 14 विधायक निवास दारुल शफा लखनऊ

ने की।

प्रचक्षत भद्र माशियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित (प्रभारी)
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ
8/8/2014

(15) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हों, मान्य होगी।

नोट:- (1) अतः शासनादेश सं० वि० क० नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7 % की दर से स्टाम्प रुपये 77,17,000.00 अदा किया जा रहा है।

नोट:- (2) उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटी द्वारा किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प एक्ट की धारा-10A के अधीन जिलाधिकारी (म०) लखनऊ के आदेश संख्या-02 दिनांक 04.04.2014 के क्रम में राजकीय व्यवसायिक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान संख्या-जी-080064 दिनांक 23.07.2014 के विरुद्ध मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ द्वारा दिनांक 30.07.2014 को निर्गत रुपये 77,17,000.00 का स्टाम्प प्रमाण पत्र व रुपये 100/- के जनरल स्टाम्प पेपर पर किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-2 लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-12A, का कुल क्षेत्रफल 7112.00 वर्ग मीटर है। रु० 19,500.00 X 1000 = रु० 1,95,00,000.00 एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल 6112.00 वर्ग मीटर द्वारा निर्धारित सर्किल दर रु० 19,500.00 -30% = 13,650.00 कुल रु० 8,34,28,800.00 प्रति वर्ग मीटर द्वारा निर्धारित भूमि दर रु० 1,95,00,000.00 + 8,34,28,800.00 = रु० 10,29,28,800.00 जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मालियत रु० 11,02,36,000.00 है। जिसपर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प प्रमाण पत्र रु० 77,17,100.00 पर किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

नाम:- कैलाश यादव

पुत्र श्री तिलकू यादव

पता:- 14A, दारुलशाफा विधायक निवास

लखनऊ आवंटी

(लक्ष्मण प्रसाद)

उप आवास आयुक्त

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रेता

Registration No. 16865

Year: 2,014

Book No. : 1

0201 कैलाश यादव
तिलक यादव
14 ए दारुलशफा निवास लखनऊ
आधर





OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. - 3

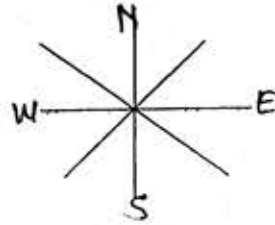
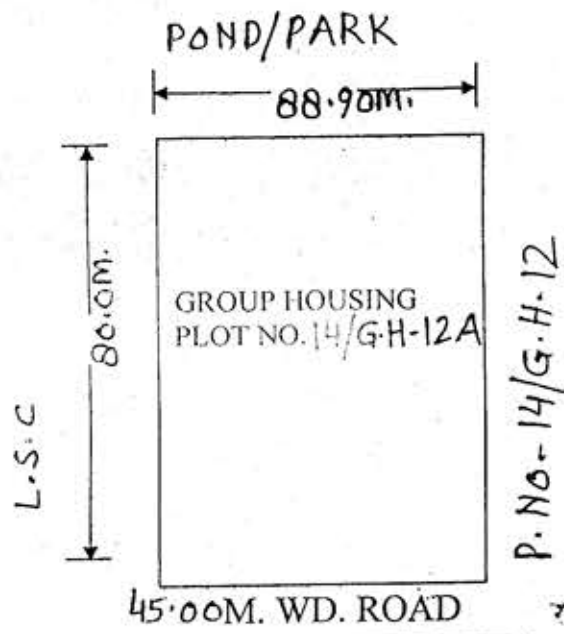
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD

OFFICE COMPLEX, III FLOOR, 9A, VRINDAVAN SCHEME No.-2,
PART-2, RAI BAREILLY ROAD, LUCKNOW.

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT No.14/G.H-12A SECTOR-14
AT VRINDAVAN YOJNA No.4, LUCKNOW.
OWNER SRI./SMT.

PLOT SIZE 88.90 M X 80.00 M

PLOT AREA 7112.00 SQM.



रजिस्ट्री हेतु निम्न
लिखित कार्य 60 दि. 26/9/12

D/MAN

A.E.

A.E. उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

A.E.